# सफदरजंग अस्पताल का प्रबन्धतन्त्र, नई दिल्ली

बनाम

# कुलदीप सिंह सेठी

(Management of Safdarjung Hospital, New Delhi

*Vs.*

Kuldip Singh Sethi)

**(1 अप्रैल, 1970)**

(मुख्य न्यायाधिपति हिदायतुल्लाह, न्या० जे० सी० शाह, के० एस० हेगडे, ए० एन० ग्रोवर, ए० एन० रे और आई० डी० दुआ)

**औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14)—धारा 2 (ञ),(ट), (ढ) (ध) और प्रथम अनुसूची—उद्योग की परिभाषा और विस्तार—सफदरजंग अस्पताल, टी० बी० अस्पताल, दिल्ली और खुर्जी होलि फैमिली अस्पताल, पटना के बारे में औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन उद्योग होने के पक्ष में दलील दी जानी—चूंकि उक्त अस्पतालों के माध्यम से कोई लाभ नहीं कमाया जाता और वे किसी व्यापार या उद्योग में नहीं लगे हुए हैं या उनसे भौतिक वस्तुओं अथवा सेवाओं की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए वे उद्योग नहीं हैं और प्रथम अनुसूची में अन्तर्विष्ट किसी मद को तभी उद्योग माना जाएगा जब कि अधिनियम में दी गई 'उद्योग', 'औद्योगिक विवाद', 'कर्मकार' तथा 'नियोजन' की परिभाषाओं के आधार पर यह सिद्ध हो जाए कि वह कोई उद्योग है।**

तीन अस्पताल अर्थात् सफदरजंग अस्पताल, टी० बी० अस्पताल और खुर्जी होलि फैमिली अस्पताल के प्रबंधतंत्र और उनके कर्मचारियों के बीच, कतिपय भुगतान सम्बन्धी मतभेदों के बारे में विवाद थे और उनको औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत विनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए थे। अस्पतालों के प्रबन्धतन्त्र की ओर से यह दलील दी गई थी कि चूंकि ये अस्पताल कोई लाभ नहीं कमा रहे हैं और उन से किसी भौतिक वस्तुओं अथवा सेवाओं की उत्पत्ति नहीं होती इसलिए ये अस्पताल औद्योगिक विवाद अधिनियम में यथा-परिभाषित उद्योग नहीं हैं। अपीलें मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित**—उद्योग की परिभाषा पर समग्र रूप से विचार करने से एक संयुक्त अर्थ निकलता है कि वह एक ऐसा उद्यम होता है जिसमें कि नियोजक और कर्मचारी सहयोजित होते हैं। यह केवल अकेले नियोजकों के द्वारा अथवा अकेले कर्मचारियों के द्वारा अस्तित्वशील नहीं रह सकता। यह केवल तभी अस्तित्वशील रह सकता है जब कि नियोजकों और कर्मचारियों के बीच कोई सम्बन्ध हो, पूर्वोक्त अपने कारबार, व्यवसाय उपक्रम विनिर्माण अथवा आजीविका में लगे होते हैं और पश्चादोक्त किसी आजीविका या उपव्यवसाय में लगे हुए होते हैं। अतः कोई ऐसा उद्यम होना अत्यन्त आवश्यक है जिसमें कि परिभाषा में वर्णित नियोजक अपने ऐसे उपव्यवसायों में लगे होते हैं जिनको कि कर्मकारों के लिए वर्णित किया गया है। नियोजन के प्रत्येक मामले के बारे में यह आवश्यक नहीं है कि उससे किसी उद्योग का ही गठन होता हो। घरेलू नियोजन, लोक अधिकारियों की प्रशासनिक सेवाएं और वृत्तिक व्यक्तियों की उपजीविका की सहायता के लिए सेवाओं से भी यह प्रकट होता है कि नियोजकों तथा कर्मचारियों के बीच सम्बन्ध होता है किन्तु उस सम्बन्ध के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह उद्योग के अनुक्रम में होता हैं। इससे यह प्रकट होता है कि किसी कर्मकार के बारे में उसे तभी ऐसा कर्मकार माना जाएगा, जो कि किसी उद्योग में नियोजित हो, यदि वह अपने नियोजकों के साथ सहयोजन में, उल्लिखित उपव्यवसायों में से किसी एक का अनुसरण करते हुए, नियोजकों के सम्बन्ध में, उल्लिखित उपव्यवसायों में लगा हुआ है। यह बात सच है कि यह ऐसी उपजीविका के बारे में कहा जाएगा जो कि मनुष्यों के द्वारा विक्रय और क्रय, वस्तु विनियम अथवा व्यापार के रूप में वाणिज्यिक कार्य किया जाता है। यह उस कार्य के बारे में भी कहा जाएगा जो कि किसी व्यापार के रूप में मुख्यतया कुशल कार्य के रूप में किया जाता है। उदाहरण स्वरूप स्वर्णकार का व्यवसाय किन्तु इस शब्द का जैसाकि वह परिनियम में प्रयोग किया गया है अवश्य ही वृत्ति से अन्तर किया जाना चाहिए। शब्द 'व्यापार' उन वृत्तियों को भी कारबार की श्रेणी में सम्मिलित करता है जिनमें कि व्यक्तियों को कर्मकारों के रूप में नियोजित किया जाता है। शब्द कारवार का बहुत ही विस्तृत अर्थ है। एक अर्थ में यह सभी उपजीविकाओं और वृत्तियों को समाविष्ट करता है। किन्तु इनकी परिभाषाओं के संदर्भ में इन पदों का एक विशेष प्रकार के आर्थिक संदर्भ में अर्थ किया जाता है और उच्चतम न्यायालय की नजीरों के आधार पर एकरूपता से इस रूप में स्वीकार किया गया है कि वृत्तियों को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और उसका सम्बन्ध केवल धन के उत्पादन, वितरण, उपभोग और उत्पादन तथा भौतिक सेवाओं की उपलभ्यताओं से ही है। इस प्रकार उद्योग

शब्द का केवल यह अर्थ स्वीकार किया जाएगा कि वह व्यापार और कारबार, विनिर्माण अथवा उपक्रम जैसा कि वे व्यापार और उस कारबार से मिलते जुलते हैं जिनसे कि भौतिक वस्तुओं अथवा धन और भौतिक सेवाओं का उत्पादन होता है। (पैरा 11, 12 और 14)

भौतिक सेवाएं वे सेवाएं नहीं होती जो पूर्ण रूप से अथवा अधिकांश रूप में वृत्ति का ज्ञान, कौशल अथवा निपुणता किसी परिणाम के निकालने के लिए निपुणता के योगदान पर निर्भर होती है ऐसी सेवाएं चूंकि व्यक्तिगत रूप से दी जाती है और वे व्यक्तियों द्वारा दी जाती हैं तो निस्संदेह रूप से वे सेवाएं ही होती हैं। किन्तु उनको भौतिक सेवाएं नहीं कहा जा सकता। यहां तक कि किसी ऐसे स्थापन में जहां पर इस प्रकार की अनेक सेवाएं की जाती हैं उनके विषय में भी यह नहीं कहा जा सकता कि वे अपनी वृत्तिक सेवाओं में परिवर्तित करते हैं। भौतिक सेवाओं में ऐसा क्रियाकलाप अन्तर्वलित होता है जिसको कि नियोजकों और कर्मकारों के आपसी सहयोग के द्वारा पूरा किया जाता है और जिससे समुदायों के लिए उपयोगी सेवाओं की व्यवस्था की जाती है जैसे कि विद्युत शक्ति, जल, परिवहन, डाक परिदान, टेलीफोन सेवा और इसी प्रकार की अन्य सेवाएं। इन सेवाओं की व्यवस्था करने में प्रशिक्षित व्यक्तियों अथवा वृत्तिक व्यक्तियों को भी नियोजन में रखा जा सकता है किन्तु बल इस बात पर नहीं दिया जाता है कि वे व्यक्ति क्या कार्य करते हैं किन्तु इस बात पर दिया जाता है कि उनकी किसी उद्योग अथवा वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान संगठित सेवा से क्या परिणाम निकलता है। इस प्रकार वृत्तिक व्यक्तियों की सेवाओं का जिनमें कि व्यक्तियों का लाभ अन्तर्वलित होता है और उनकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, जैसा कि चिकित्सक, अध्यापक, विधवेत्तर, सालीसिटर इत्यादि, सुगमता पूर्वक ऐसी किसी सेवा से अन्तर किया जा सकता है जैसा कि परिवहन सेवा। पश्चादोक्त सेवा का स्वरूप वाणिज्यिक होता है जिससे कि कोई वस्तु अस्तित्व में आती है और यह उस लाभ से सर्वथा भिन्न होता है जो कि किसी विशिष्ट व्यक्ति को होता है। इससे पूर्व कि कोई औद्योगिक विवाद, नियोजन अथवा अनियोजन अथवा नियोजन के निबन्धन अथवा किसी व्यक्ति के श्रम की शर्तों के बारे में नियोजकों और उनके कर्मचारियों अथवा नियोजकों और नियोजकों अथवा कर्मचारियों और कर्मचारियों के बीच, उत्पन्न हो इस विषय में अवश्य ही यह साबित होना चाहिए कि ऐसे नियोजकों और कर्मचारियों में सम्बन्ध हो जो एक साथ सहयोजित हों और पूर्वोक्त किसी ऐसे व्यापार कारबार, विनिर्माण, उपक्रम अथवा आजीविका का अनुसरण कर रहे हों जो कि भौतिक वस्तुओं अथवा भौतिक सेवाओं के बारे में हो, और पश्चादोक्त किसी ऐसी

1970(4) eILR(PAT) SC 1



आजीविका, सेवा नियोजन हस्तशिल्प अथवा औद्योगिक उपजीविका अथवा उपव्यवसाय का अनुसरण कर रहे हों जो कि कर्मचारियों के उद्यम की सहायता के लिए हो। यह आवश्यक नहीं है कि इस विषय में लाभ कमाने का उद्देश्य अन्तर्निहित हो किन्तु उद्यम अवश्य ही वाणिज्यिक अर्थ में व्यापार अथवा कारबार के सदृश होना चाहिए। (पैरा 16 और 19)

परिभाषा के प्रथम और द्वितीय भागों को केवल एकल रूप से ही नहीं पढ़ा जाना है जैसा कि वे भिन्न प्रकार के उद्योग हों किन्तु उनको नियोजकों और कर्मचारियों के उपजीविका पहलू के रूप में किसी उद्योग के बारे में पढ़ा जाना है। वे एक ही उद्योग के दो प्रतिरूप हैं। यह गलत धारणा है कि किसी आर्थिक क्रिया-कलाप का पूंजी अथवा केवल मात्र लाभ कमाने से ही सम्बन्ध होना चाहिए। कोई आर्थिक क्रिया-कलाप इन दोनों के अतिरिक्त भी अस्तित्वशील रह सकता है। उस प्रकार का क्रिया-कलाप किसी कारबार अथवा व्यापार के सदृश होना चाहिए और अवश्य ही उससे माल का उत्पादन होना चाहिए अथवा उनका वितरण अथवा सामग्री को उत्पन्न करने के लिए समुदाय के लिए समग्र रूप से सेवाएं अथवा उसके एक भाग के रूप में होना चाहिए। इस संदर्भ में किसी ऐसी प्रतिपादना के लिए कोई स्थान नहीं था कि प्राइवेट रूप से चलाए जाने वाले अस्पतालों को कतिपय परिस्थितियों में उद्योगों के रूप में माना जा सकता है। औद्योगिक विवाद ऐसे प्रचालन में उत्पन्न होते हैं जहां पर कि नियोजक और कर्मचारी इसलिए सहयोजित होते हैं कि इस बात की व्यवस्था की जाए कि जनता की क्या आवश्यकता और इच्छा है। दूसरे शब्दों में जहां कि भौतिक वस्तुओं अथवा भौतिक सेवाओं का उत्पादन होता है। (पैरा 22)

इस बात का समाधान होना चाहिए कि कोई उद्योग अस्तित्वशील है। यदि कोई ऐसा उद्योग है जो कि प्रथम अनुसूची में गिनाई गई मदों के अन्तर्गत आता है तो तभी उसको अधिसूचित किया जा सकता है और उसे लोक उपयोगी सेवा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उनके बारे में यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि वे उद्योग हैं और तभी वह अधिसूचना उनको लागू होगी। इससे अन्यथा अभिनिर्धारित करने का आशय मुख्यतया यह होगा कि उद्योग के बारे में अधिनियम में दी गई 'उद्योग' 'औद्योगिक विवाद' इत्यादि की समस्त परिभाषाएं निरर्थक हो जाएंगी जो कि अनुसूचित मदों के बारे में दी गई हैं। संसद ने यह घोषित करने का प्रयास नहीं किया है कि उद्योग, औद्योगिक विवाद कर्मकार और नियोजक की परिभाषाओं के होते हुए भी प्रत्येक अस्पताल को एक उद्योग के रूप में माना जाएगा। जिस बात की व्यवस्था की गई है वह यह है कि किसी लोक उपयोगी सेवा को किसी उद्योग के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। यह

बात अनुचित होगी कि अधिनियम के अधीन जिन वस्तुओं को उद्योग नहीं माना गया है उनको उद्योगों में परिवर्तित कर दिया जाए। (पैरा 27 और 28)

## निर्दिष्ट निर्णय

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [1969] | (1969) 1 डब्लू० एल० आर० 697 एच० एल० एस० सी० : **होटल एण्ड केटरिंग इण्डस्ट्रीज ट्रेनिंग बोर्ड बनाम ऑटोमोबाइल प्रोप्राइटरी लिमिटेड** (Hotel and Catering Industries Training Board *Vs.* Automobile Proprietary Ltd.); | 18 |
| [1969] | ए० आई० आर० 1969 एस० सी० 276= [1969] 1 उम० नि० प० 210. **क्रिकेट क्लब ऑफ इण्डिया बनाम बॉम्बे लेबर यूनियन** (Cricket Club of India Limited *Vs.* Bombay Labour Union); | 18 |
| [1968] | (1968) 1 एस० सी० आर० 742 : **सचिव, मद्रास जिमखाना क्लब एम्प्लाइज यूनियन बनाम जिमखाना क्लब का प्रबन्धतन्त्र** (Secretary, Madras Gymkhana Club Employees Union *Vs.* Management of the Gymkhana Club); | 5 |
| [1964] | (1964) 2 एस० सी० आर० 703 : **दिल्ली विश्वविद्यालय और एक अन्य बनाम रामनाथ** (University of Delhi and Another *Vs.* Ramnath); | 17 |

1970(4) eILR(PAT) SC 1



| | | |
|---|---|---|
| [1962] | (1962) सप्लीमेण्ट 3 एस० सी० ग्रार 157 : **नैशनल यूनियन ऑफ कार्माशयल एम्प्लाइज़** बनाम **एम० ग्रार० मेहर** (National Union of Commercial Employees *Vs.* M. R. Meher); | 17 |
| [1960] | (1960) 2 एस० सी० ग्रार० 866 : **मुम्बई राज्य** बनाम **ग्रस्पताल मजदूर सभा** (The State of Bombay *Vs.* Hospital Mazdoor Sabha); | 3 ग्रौर 23 |
| [1943] | (1943) ए० सी० 166 : **नैशनल एसोसिएशन ग्रॉफ लोकल गवर्नमेण्ट ग्राफिसर्स** बनाम **बोल्टन कॉरपोरेशन्स** (National Association of Local Governemnt Officers *Vs.* Bolton Corporations); ग्रौर | 14 |
| [1918-19] | 26 सी० एल० ग्रार० 508 : **फैडरेटेड म्युनिसिपल एण्ड शायर काउन्सिल एम्प्लाइज़ ग्रॉफ ग्रास्ट्रेलिया** बनाम **मैलबोर्न कॉरपोरेशन** (Federated Municipal and Shire Council Employees of Austrilia *Vs.* Melbourne Corporation). | 22 |

**सिविल ग्रपीली ग्रधिकारिता : 1969 की सिविल ग्रपील संख्या 1705.**

1968 की ग्रौद्योगिक सिविल ग्रपील संख्या 2 ग्रौर 1969 की सिविल ग्रपील संख्या 1781 में केन्द्रीय श्रम न्यायालय, दिल्ली के तारीख 21 फरवरी, 1959 वाले ग्रादेश वाले विरुद्ध विशेष इजाज़त लेकर की गई ग्रपील।

1968 के ग्रौद्योगिक विवाद संख्या 73 में ग्रतिरिक्त ग्रौद्योगिक ग्रधिकरण, दिल्ली के तारीख 24 फरवरी, 1969 वाले ग्रादेश के विरुद्ध विशेष इजाज़त लेकर की गई ग्रपील ग्रौर 1968 के सिविल रिट ग्रधिकारिता मामला संख्या 730 में पटना उच्च न्यायालय के तारीख 21 फरवरी, 1969 वाले निर्णय ग्रौर ग्रादेश के विरुद्ध की गई ग्रपील।

1970(4) eILR(PAT) SC 1

| | |
|---|---|
| **अपीलार्थी की ओर से** (1969 की सिविल अपील संख्या 1705 में) | श्री नीरेन डे, भारत के महान्यायवादी और श्री एस० पी० नायर |
| (1969 की सिविल अपील संख्या 1781 में) | सर्वश्री एच० आर० गोखले और० जितेन्द्र महाजन |
| (1969 की सिविल अपील संख्या 1777 में) | सर्वश्री ए० के० सेन, रेनन राय और ए० के० नाग |
| **प्रत्यर्थी की ओर से** (1969 की सिविल अपील संख्या 1705 में) | सर्वश्री एम० के० राममूर्ति, ई० सी० अग्रवाल, आर० पी० अग्रवाल और एम० वी० गोस्वामी |
| (1969 सिविल अपील संख्या 1781 में) | सर्वश्री एम० के० राममूर्ति, जे० राममूर्ति और मदन मोहन |
| **प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से** (1969 सिविल अपील संख्या 1777 में) | श्री डी० गोवर्धन |
| **प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से** (1969 की सिविल अपील संख्या 1777 में) | सर्वश्री पी० एन० तिवारी और शिव पूजन सिंह |
| **मध्यक्षेपी की ओर से** | सर्वश्री एच० आर० गोखले और एम० सी० भंडारी |

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायाधिपति एम० हिदायतुल्लाह ने दिया ।

**मुख्य न्यायाधिपति हिदायतुल्लाह—**

इस निर्णय से 1969 की सिविल अपील संख्या 1705, 1969 की सिविल अपील संख्या 1781 और 1969 की सिविल अपील संख्या 1777 का निपटारा हो जाएगा । प्रथम अपील सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के प्रबंधतंत्र द्वारा की गई है । द्वितीय अपील टी० बी० अस्पताल, नई दिल्ली के द्वारा की गई है और तृतीय अपील खुर्जी होली फैमिली अस्पताल, पटना के द्वारा की गई है । प्रथम दो अपीलें विशेष इजाज़त लेकर की गई हैं और तृतीय अपील प्रमाण पत्र लेकर की गई है । इन अपीलों के द्वारा, क्रमशः औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 ग(2) के अधीन आवेदन किए जाने पर केन्द्रीय सरकार श्रम न्यायालय, दिल्ली के तारीख 21 फरवरी, 1969 के आदेश, अतिरिक्त औद्योगिक अधिकरण

के पीठासीन अधिकारी के तारीख 24 फरवरी, 1969 के आदेश और पटना उच्च न्यायालय के तारीख 21 फरवरी, 1969 के निर्णय और आदेश को, प्रश्नगत किया गया है। इन अपीलों के द्वारा विधि का यह सामान्य प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या ये विभिन्न अस्पताल औद्योगिक विवाद अधिनियम के अर्थान्तर्गत उद्योगों के रूप में माने जा सकते हैं। उनके द्वारा गुणागुण के आधार पर एक भिन्न प्रश्न भी उद्भूत होता है जिस पर कि अलग से विचार किया जाएगा। इससे पूर्व कि हम ऊपर उल्लिखित विधि के सामान्य प्रश्न पर विचार करें यह आवश्यक होगा कि इस मामले में तथ्यों पर संक्षेप में ध्यान दिया जाए।

2. 1969 की सिविल अपील संख्या 1705

सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली का प्रबंधतंत्र, वर्तमान प्रत्यर्थी कुलदीप सिंह सेठी के द्वारा किए गए पिटीशन में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 ग (2) के अधीन की गई पिटीशन में, प्रत्यर्थी था। कुलदीप सिंह सेठी ने जो कि अस्पताल में निम्न श्रेणी लिपिक है, अपने वेतन इत्यादि की संगणना के लिए यह पिटीशन फाइल की थी। यह वेतन उसके स्टोर कीपर के वेतनमान के लिए देय था। कुलदीप सिंह सेठी को वेतन मान रुपए 60-5-75 में तारीख 26 अक्तूबर, 1956 को एक स्टोर कीपर के रूप में नियुक्त किया गया था। यह वेतनमान 1 जुलाई, 1959 को रुपए 110-180 के रूप में पुनरीक्षित किया गया था जो कि द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया गया था। 2 या 3 मास के पश्चात् वेतन पुन: नियत किया गया था और उस समय का जो वेतन-मान था वह रुपए 110-131 सामान्य भत्तों सहित था। 1 जुलाई, 1962 को उसका मूल वेतन 131 रुपए नियत किया गया था। 26 नवम्बर, 1962 को भारत सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय ने स्टोर कीपर का वेतनमान पुन: पुनरीक्षित किया जो रुपए 130-5-160-8-200 द० रो० 8-280-10-300 सामान्य भत्तों सहित था। उस आदेश को उसके निकाले जाने की तारीख से ही प्रभावी किया जाना था। कुलदीप सिंह सेठी ने अपने पिटीशन में यह शिकायत की है कि अस्पताल का प्रबंधतं उसको पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन देने में असफल रहा है और उसने 26 नवम्बर, 1962 से 31 मई, 1968 की कालावधि के लिए 914 रुपए के लिए दावा किया है।

3. उसके पिटीशन के उत्तर में प्रबंधतंत्र ने यह दलील दी है कि कुलदीप सिंह सेठी कोई कर्मकार नहीं था किन्तु वह एक सरकारी सेवक था जिसको कि सरकारी सेवकों के लिए सेवा की शर्तें लागू होती हैं और इसलिए चूंकि सफदरजंग अस्पताल कोई उद्योग नहीं था, वह औद्योगिक विवाद अधिनियम की सहायता

प्राप्त नहीं कर सकता था। अधिकरण ने इस न्यायालय के द्वारा **मुम्बई राज्य** बनाम **अस्पताल मजदूर सभा**[1] में दिए गए विनिश्चय का अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त अस्पताल एक उद्योग है, यह कि कुलदीप सिंह सेठी एक कर्मकार है और इसलिए वह औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33ग(2) के आधार पर उपचार के लिए हकदार है। गुणागुण के आधार पर भी उसके दावे को स्वीकार करने योग्य पाया गया और उसके पक्ष में 914 रुपए पंचाट दे दिया गया। इस प्रक्रम पर हमें उन आधारों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर कि उसके दावे का गुणागुण के आधार पर प्रतिरोध किया गया है। इस मामले में विधि का जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या सफदरजंग अस्पताल को औद्योगिक विवाद अधिनियम में परिभाषित रूप में एक उद्योग के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है।

4. 1969 की सिविल अपील संख्या 1781

इस मामले में टी० बी० अस्पताल, नई दिल्ली के प्रबंधतंत्र और, अस्पताल कर्मचारी पंचायत के द्वारा प्रतिनिधित्व करने के आधार पर, उसके कर्मकारों के बीच वेतनमानों और कर्मकारों के द्वारा मांग की गई अन्य सुविधाओं के बारे में विवाद है। प्रबंधतंत्र ने प्रारम्भिक आपत्ति यह उठाई है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि अस्पताल कोई उद्योग नहीं है और उसको उस रूप में संचालित नहीं किया जाता। इसलिए प्रबंधतंत्र ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10(1)(घ) के अधीन अधिकरण के द्वारा निर्देश किए जाने को प्रश्नगत किया है। प्रारम्भिक विवाद्य यह उठाया गया है—

"क्या अस्पताल एक उद्योग है अथवा नहीं ?"

इस बात के समर्थन में कि अस्पताल कोई उद्योग नहीं है प्रबंधतंत्र ने अस्पताल के कार्यों पर अधिक जोर दिया है। यह इंगित किया गया है कि अस्पताल को ट्यूबरक्लोसिस एसोसियेशन आफ इण्डिया के द्वारा एक शोध संस्था के रूप में चलाया जाता है जहां पर कि डी० टी० सी० डी० और डी० सी० एच० पाठ्यक्रमों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के चिकित्सीय स्नातकों तथा आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मैडिकल साइंसिस के स्नातकोत्तर तथा अवर स्नातकों के लिए प्रशिक्षण का उपबंध किया गया है और दिल्ली कालेज आफ नर्सिंग, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग और होली फैमिली अस्पताल की नर्सों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। यह स्वीकार किया गया है कि अस्पताल में ऐसे बिस्तरे हैं जिन

[1] (1960) 2 एस० सी० आर० 866.

के लिए शुल्क लिया जाता है और कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए शुल्क नहीं लिया जाता है किन्तु यह कहा गया है कि टी० बी० की चिकित्सा शोध, प्रशिक्षण और शिक्षा का ही एक भाग है और इसलिए अस्पताल की समानता विश्वविद्यालय से की जा सकती है न कि उचित रूप से स्वयं अस्पताल से। अतः यह दलील दी गई है कि यह अस्पताल कोई उद्योग नहीं है। अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया है कि न तो शोध कार्य का किए जाने से और न ही प्रशिक्षण के दिए जाने से तथा न ही ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन आफ इण्डिया के अस्तित्व से ही, जिस से कि वह अस्पताल सम्बद्ध है, कोई अन्तर पड़ता है और यह मामला **अस्पताल मजदूर सभा के मामले**[1] में दिए गए विनिर्णय के अन्तर्गत आता है। अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया है कि टी० बी० अस्पताल, नई दिल्ली एक उद्योग है।

5. 1969 की सिविल अपील संख्या 1777.

यह अपील पटना उच्च न्यायालय में फाइल की गई एक रिट पिटीशन से उद्भूत होती है। खुर्जी होली फैमिली अस्पताल ने अपने कर्मचारियों में से दो के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की थी और उस मामले को खुर्जी होली फैमिली अस्पताल के कर्मचारी संगम के द्वारा उठाया गया था और बिहार राज्य औद्योगिक अधिनियम की धारा 10 के अधीन श्रम न्यायालय पटना को निर्देशित किया था। अस्पताल के प्रबंधतंत्र ने अधिकरण के समक्ष अन्य बातों के साथ-साथ यह आपत्ति उठाई कि अस्पताल न तो कोई व्यापार संस्था है और न ही वह कोई कारबार करता है और न ही अद्योगिक विवाद अधिनियम में परिभाषित रूप में वह कोई उद्योग ही है और इस प्रकार औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबंध इस मामले में लागू नहीं होते। तथा वह निर्देश सक्षम नहीं था। उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न के बारे में **अस्पताल मजदूर सभा के मामले**[1] का अनुसरण करते हुए प्रबंधतंत्र के विरुद्ध अभिनिर्धारित किया। इस न्यायालय के पश्चात्वर्ती मामले, जो कि **सचिव, मद्रास जिमखाना क्लब एम्प्लाइज यूनियन** बनाम **जिमखाना क्लब का प्रबंधतन्त्र**[2] में प्रतिवेदित किया गया है, के बारे में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उससे उस विनिश्चय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता जिसका कि अवलम्ब लिया गया है।

6. इस प्रकार तीन मामले हमारे सम्मुख आए हैं और उनकी एक साथ ही सुनवाई की गई है। इन मामलों में काउन्सेल ने यह निवेदन किया है कि

---

[1] (1960) 2 एस० सी० आर० 866.

[2] (1968) 1 एस० सी० आर० 742.

**अस्पताल मजदूर सभा**[1] के मामले में दिए गए विनिर्णय का महत्व अब **मद्रास जिमखाना क्लब**[2] के मामले में दिए गए निर्णय से पर्याप्त सीमा तक कम हो गया है जिसमें कि यह मत व्यक्त किया गया है कि **अस्पताल मजदूर सभा**[1] का मामला एक ऐसा मामला था जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि उसके द्वारा सीमा रेखा निर्धारित की गई थी और यह कि इस बात का विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि उस मामले में उद्योग के बारे में एक अतिकारी दृष्टिकोण अपनाया गया था। इन विचारों का अवलम्ब लेते हुए इन तीनों अपीलों में काउन्सेल ने **अस्पताल मजदूर सभा के मामले**[1] पर पुनः विचार करने के लिए आवेदन किया है। यद्यपि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उस मामले को उलटा नहीं गया था। तदनुसार हम ने इस सामान्य प्रश्न पर दलीलें सुनीं कि क्या किसी अस्पताल को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अर्थान्तर्गत कोई उद्योग किन परिस्थितियों में माना जा सकता है। हम ने इस अपील को गुणागुण के आधार पर भी यह अवधारण करने के लिए सुना कि क्या उसमें दिए गए विनिश्चय को इस स्थिति में भी कायम रखा जा सकता है जब कि **अस्पताल मजदूर सभा के मामले**[1] को लागू होने योग्य अभिनिर्धारित किया गया था। हम इस मामले में भी उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे। हम सर्वप्रथम इस सामान्य प्रतिपादना पर विचार करेंगे कि क्या कोई अस्पताल औद्योगिक विवाद अधिनियम में अभिव्यक्त विचारानुसार औद्योगिक विवाद हो सकता है और क्या सभी अस्पताल चाहे वे किसी भी प्रकार के क्यों न हों इस विचार के अन्तर्गत आ सकते हैं अथवा केवल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन ही कुछ अस्पतालों को इसके अन्तर्गत रखा जा सकता है। तब हम अलग-अलग मामलों के, जहां तक आवश्यक हो सकता है, गुणागुण पर विचार करेंगे।

7. औद्योगिक विवाद अधिनियम का अर्थान्वियन इस न्यायालय के द्वारा एकाधिकार अवसरों पर विगत काल में किया जा चुका है। उन विभिन्न मामलों का विस्तृत सारांश और साथ ही साथ उनके विनिश्चय आधारों को **जिमखाना क्लब के मामले**[2] में पाया जा सकता है। यह मालूम करने के लिए, कि क्या कोई विशिष्ट स्थापन उद्योग की परिभाषा के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं, अपनाई गई कसौटियों के बारे में एकरूपता नहीं पाई गई थी और इस समस्या के बारे में ऐतिहासिक दृष्टिकोण को ही दर्शित किया गया था। इसलिए **जिमखाना क्लब के मामले**[2] में इस न्यायालय ने, मार्गदर्शन के लिए यह इंगित करते हुए कि वे किसी प्रचलित वाक्यांश से सम्बद्ध नहीं हैं। किन्तु वे केवल उस वाक्यांश से

[1] (1960) 2 एस० सी० आर० 866.

[2] (1968) 1 एस० सी० आर० 742.

1970(4) eILR(PAT) SC 1

सम्बद्ध हैं जिसको कि स्वयं परिनियम में ही विशेष रूप से परिभाषित किया गया था, परिनियम के बारे में पुनः विचार किया था। परिभाषाओं के तत्वों की परीक्षा करते हुए इस न्यायालय ने कतिपय निष्कर्ष निकाले और उनके परिप्रेक्ष्य में यह अभिनिर्धारित किया कि सदस्यों का ऐसा क्लब जो कि सम्पत्ति धारण नहीं करता कोई उद्योग नहीं है।

8. **जिमखाना क्लब के मामले**[1] में दिए गए तर्क ही, इन तीनों अस्पतालों के प्रबन्धतन्त्र, जो कि इसमें अपीलार्थी हैं, के द्वारा **अस्पताल मजदूर सभा के मामले**[2] में दिए गए विनिर्णय पर एक आक्षेप के रूप में आधार पर बन पाए थे। दूसरे पक्षकारों ने उस विनिर्णय का और औद्योगिक विवाद अधिनियम में किए गए उस संशोधन का अवलम्ब लिया है जिसके द्वारा उद्योगों के रूप में प्रथम अनुसूची की मद संख्या 9 के रूप में अस्पतालों और चिकित्सालयों में की जाने वाली सेवाओं को, जिनको कि अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (6) के अधीन लोक कल्याण की सेवाएं घोषित किया जा सकता है, अब उसमें जोड़ दिया गया है। इस बात का दावा किया गया है कि इस प्रश्न का निर्धारण करना विधानमण्डल का कार्य है कि क्या अस्पताल कोई उद्योग है अथवा नहीं। अतः यह बात आवश्यक हो गई है कि **जिमखाना क्लब के मामले**[1] के अन्तर्गत आने वाले आधार को समाविष्ट किया जाए। इससे पूर्व कि हम विवेचन प्रारम्भ करें अधिनियम में अन्तर्विष्ट सुसंगत परिभाषाओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमारा यह विनिश्चय आवश्यक रूप से नियन्त्रित होगा।

9. औद्योगिक विवाद अधिनियम, जैसा कि इसके नाम और इसके समग्र अभिप्राय से यह दर्शित होता है, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और निपटारे के के लिए उपबंध बनाने के लिए और अधिनियम में वर्णित कुछ अन्य कतिपय प्रयोजनों के लिए पारित किया गया था। पदाभिव्यक्ति "औद्योगिक विवाद" की धारा 2(ट) में निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है—

> " 'औद्योगिक विवाद' से नियोजकों और नियोजकों के बीच का या नियोजकों और कर्मकारों के बीच का, या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच का ऐसा विवाद या मतभेद अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन से या नियोजन के निबन्धनों या श्रम-परिस्थितियों से संसक्त है।"

इस परिभाषा से यह दर्शित होता है कि केवल विशिष्ट प्रकार के विवादों को ही औद्योगिक विवाद माना गया है। इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है कि इस

[1] (1968) 1 एस० सी० आर० 742.

[2] (1960) 2 एस० सी० आर० 866.

परिभाषा में किसी उद्योग को निर्दिष्ट नहीं किया गया था। किन्तु विवाद से जैसा कि इसकी व्याकरणिक अभिव्यक्ति से प्रतीत होता है यह अभिप्रेत है कि वह किसी उद्योग में होने वाला विवाद है और इसलिए अवश्य ही हमें विवाद की, अधिनियम में दी गई परिभाषा पर विचार करना चाहिए। इस शब्द की परिभाषा खण्ड (ञ) में दी गई है और यह निम्न प्रकार है—

> " 'उद्योग' से नियोजकों का कोई भी कारबार, व्यवहार, उपक्रम विनिर्माण, या आजीविका अभिप्रेत है और कर्मकारों की कोई भी आजीविका, सेवा, नियोजन, हस्तशिल्प या औद्योगिक उपजीविका या उपव्यवसाय इसके अन्तर्गत आता है।"

यह परिभाषा दो भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में यह कहा गया है कि इससे नियोजकों का कोई भी कारबार, व्यवसाय, उपक्रम, विनिर्माण या आजीविका अभिप्रेत है और उसमें आगे यह कहा गया है कि कर्मकारों की कोई भी आजीविका, सेवा, नियोजन, हस्तशिल्प या उद्योग, उपजीविका या उपव्यवसाय इसके अन्तर्गत आता है।

10. इस परिभाषा पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने **जिमखाना क्लब के मामले**[1] में नियोजकों और कर्मचारियों से संबंधित दोनों धारणाओं को अलग-अलग रखा था। और यह राय अभिव्यक्त की थी कि शब्द 'उद्योग' का अर्थ नियोजकों से संबंधित प्रथम भाग में पाया जा सकता है। और इस शब्द का पूर्ण अर्थबोधन कर्मकारों से संबंधित द्वितीय भाग में समाविष्ट किया गया है। अतः यह निष्कर्ष निकाला गया था—

> "यदि किसी क्रियाकलाप को, नियोजकों के उपव्यवसाय के संदर्भ में किसी उद्योग के रूप में वर्णित किया जा सकता है तो उसके द्वितीय भाग में वर्णित कर्मचारियों के क्रिया कलापों के विभिन्न प्रकारों को द्वितीय भाग के प्रभाव से उद्योग के रूप में लिया जा सकता है। किन्तु केवल मात्र द्वितीय भाग को लेकर ही उद्योग की परिभाषा नहीं की जा सकती।...................इस परिभाषा के समाविष्ट करने वाले इस भाग को, औद्योगिक विवादों के प्रयोजनों के लिए, उद्योग का अविभाज्य अंग बना दिया गया है। यद्यपि उद्योग को साधारणतया इस रूप में माना गया है जिसे कि नियोजकों द्वारा सृजित किया जाता है अथवा उसे करने का उत्तरदायित्व लिया जाता है।"

[1] (1968) 1 एस० सी० आर० 742.

11. इन विचारों को कुछ सीमा तक विशेषित करने की आवश्यकता है। इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है कि इस परिभाषा ने आस्ट्रेलिया के कामनवेल्थ कंसीलिएशन एण्ड आर्बिट्रेशन ऐक्ट, 1909-1970 (1904 का अधिनियम संख्या 13 और 1910 का अधिनियम संख्या 7) की धारा 4 में दी गई उद्योग की परिभाषा को पर्याप्त सीमा तक उपान्तरित कर दिया गया है। उसमें दी गई परिभाषा निम्न प्रकार है—

> " 'उद्योग' से कोई कारबार, व्यवसाय, विनिर्माण, उपक्रम, आजीविका सेवा या नियोजन, अभिप्रेत है चाहे वह भूमि पर किया जाता हो अथवा समुद्र में जिसे कि व्यक्तियों को वेतन, भाड़े, लाभ अथवा इनाम के लिए नियोजित किया जाता है, इसके अन्तर्गत केवल वे व्यक्ति नहीं आते जो कि कृषि, अंगूरों की खेती उद्यान कृषि अथवा दुग्ध पदार्थों के काम-काज में लगे हुए हैं।

यद्यपि इन दोनों परिभाषाओं में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है तथापि दोनों का तात्पर्य एक ही है। यह आवश्यक नहीं है कि हम अपने विचाराधीन परिभाषा पर दो भागों में विचार करें। इस परिभाषा पर समग्र रूप से विचार करने से एक संयुक्त अर्थ निकलता है कि वह एक ऐसा उद्यम है जिसमें कि नियोजक और कर्मचारी सहयोजित होते हैं यह केवल अकेले नियोजकों के द्वारा अथवा अकेले कर्मचारियों के द्वारा अस्तित्वशील नहीं रह सकता। यह केवल तभी अस्तित्वशील रह सकता है जब कि नियोजकों और कर्मचारियों के बीच कोई संबंध हो, पूर्वोक्त नियोजकों के कारबार, व्यवसाय, उपक्रम; विनिर्माण अथवा आजीविका में लगे होते हैं और पश्चादोक्त किसी आजीविका, सेवा, नियोजन, हस्तशिल्प अथवा उद्योग उपजीविका या उपव्यवसाय में लगे हुए होते हैं। अतः कोई ऐसा उद्यम होना अत्यन्त आवश्यक है जिसमें कि परिभाषा में वर्णित नियोजक अपने ऐसे उपव्यवसाय में लगे होते हैं जिनको कर्मकारों के लिए आयोजित किया गया हो। निःसंदेह इस परिभाषा के अन्तर्गत नियोजकों को उपजीविका के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। किन्तु उसमें कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया गया है क्योंकि दोनों के बिना ही कोई उद्योग स्थापित नहीं हो सकता। कोई उद्योग तभी स्थापित किया जा सकता है जब कि उसमें नियोजक और कर्मचारी दोनों ही हों, जिसमें पूर्वोक्त अपनी उपजीविकाओं को पूरा करने के लिए पश्चादोक्त की सेवाओं पर निर्भर होते हैं।

12. किन्तु नियोजन के प्रत्येक मामले के बारे में यह आवश्यक नहीं है कि उससे किसी उद्योग का ही गठन होता हो। घरेलू नियोजन, लोक अधिकारियों

को प्रशासनिक सेवाएं और वृत्तिक व्यक्तियों की उपजीविका की सहायता के लिए सेवाओं से भी यह प्रकट होता है कि उनमें नियोजकों तथा कर्मचारियों के बीच संबंध होता है किन्तु उस संबंध के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह उद्योग के अनुक्रम में होता है। यह बात अधिनियम में खण्ड (ध) में दी गई कर्मकार की परिभाषा से स्पष्ट हो जाती है। जोकि निम्न प्रकार है—

> "(ध) 'कर्मकार' से कोई ऐसा व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत शिक्षु आता है) अभिप्रेत है, जो कोई कुशल या अकुशल, शारीरिक, पार्यवेक्षणिक, तकनीकी या लिपिकीय काम, भाड़े या इनाम के लिए करने के लिए किसी उद्योग में नियोजित है, चाहे नियोजन के निबन्धन अभिव्यक्त हों या विवक्षित, और किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में इस अधिनियम के अधीन की किसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए इसके अन्तर्गत कोई ऐसा कर्मकार आता है जो उस विवाद के संसर्ग में या उसके परिणामस्वरूप पदच्युत या सेवोन्मुक्त कर दिया गया है या जिसकी छंटनी कर दी गई है, अथवा जिसकी पदच्युति, सेवोन्मुक्ति या छंटनी किए जाने से वह विवाद पैदा हुआ हो, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है, जो—
>
> (i) सेना अधिनियम, 1950 या वायुसेना अधिनियम, 1950 या नेवी (डिसिप्लिन) ऐक्ट, 1934 के अध्यधीन हो; अथवा
>
> (ii) पुलिस सेवा में या किसी कारागार के अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में नियोजित हो; अथवा
>
> (iii) मुख्यतः प्रबन्धकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित हो; अथवा
>
> (iv) पार्यवेक्षणिक हैसियत में नियोजित होते हुए पांच सौ रुपये प्रतिमास से अधिक मजदूरी लेता हो अथवा या तो पद से संलग्न कर्त्तव्यों की प्रकृति के या अपने में निहित शक्तियों के कारण ऐसे कृत्यों का प्रयोग करता है जो मुख्यतः प्रबन्धकीय प्रकृति के हैं।"

शब्द 'उद्योग' के बारे में जो कि इस परिभाषा में दिया गया है उसका अर्थ इस परिभाषा के अनुसार ही समझना चाहिए और इससे यह प्रकट होता है कि किसी कर्मकार के बारे में उसे तभी ऐसा कर्मकार माना जाएगा, जो कि किसी उद्योग में नियोजित हो, यदि वह अपने नियोजकों के साथ सहयोजन में उल्लिखित

1970(4) eILR(PAT) SC 1



उपव्यवसायों में से किसी एक का अनुसरण करते हुए नियोजकों के संबंध में उल्लिखित उपव्यवसाओं में लगा हुआ है।

13. इसलिए कोई उद्योग तभी स्थापित होता है जब कि नियोजक किसी कारबार, व्यापार, संकर्म-विनिर्माण अथवा आजीविका का संचालन कर रहे हों। यदि वे ऐसा नहीं कर रहे होते तो उस स्थिति में कोई ऐसा उद्योग नहीं होता। इस अभिव्यक्ति का जो अर्थ है उसकी उन अनेक मामलों में चर्चा की गई है जिन पर कि **जिमखाना क्लब के मामले**[1] में विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। उस मामले के निष्कर्षों का निम्नलिखित रूप में कथन किया जा सकता है—

> "अत: सर्वप्रथम कोई औद्योगिक विवाद उस दशा में उत्पन्न होते हैं जब कि कोई प्रचालन जिसको चलाने का उत्तरदायित्व लिया गया है नियोजकों और कर्मचारियों के सहयोग पर आधारित हो और उसमें भौतिक माल का उत्पादन और वितरण किया जाता हो, दूसरे शब्दों में उसमें धन का उत्पादन और वितरण किया जाता हो किन्तु वे उस स्थिति में भी उत्पन्न हो सकते हैं जब कि उस सहयोग का परिणाम भौतिक सेवाएं होता है। सामान्यत: ये ऐसे मामले होते हैं जिनमें कि उत्पादन और वितरण भौतिक माल अथवा धन का किया जाता है और वे अभिव्यक्ति व्यापार, कारबार और विनिर्माण के अन्तर्गत आएंगे।"

शब्द व्यापार, कारबार, विनिर्माण और आजीविका को पुन: निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया गया है—

> "इस संदर्भ में व्यापार शब्द का वही अर्थ है जो कि हैल्सबरी लाज़ आफ इंग्लैण्ड, तृतीय संस्करण, जिल्द 38 में पृष्ठ 8 पर दिया गया है—
>
> (क) माल का, माल से अथवा माल का धन से विनिमय;
>
> (ख) कोई ऐसा कारबार जिसको कि शारीरिक श्रम अथवा वाणिज्यिक पद्धति से लाभ कमाने के दृष्टिकोण से किया गया है जैसा कि उसका उदात्तकलाओं अथवा बौद्धिक वृत्तियों और कृषि से अन्तर किया गया है; तथा कारबार से कोई ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जो कि कोई उपजीविका हो और जिसका कि 'शौक' से अन्तर किया जा सकता है। विनिर्माण किसी ऐसे उत्पादन उद्योग का एक प्रकार है जिसमें कि वस्तुओं अथवा सामग्री का विनिर्माण (बहुधा बड़े पैमाने पर) शारीरिक श्रम अथवा मशीनी शक्ति के द्वारा

[1] (1968) 1 एस० सी० आर० 742.

किया जाता है। उपजीविका से यह अभिप्रेत है कि उसे किसी वृत्ति अथवा व्यापार का अनुसरण कहा जाता है।"

14. यहां यह बात भी कही जा सकती है कि **नैशनल एसोसिएशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर्स** बनाम **बोल्टन कॉरपोरेशन**[1] के मामले में पृष्ठ 183 पर लार्ड राइट ने यह सम्प्रेक्षित किया कि 'व्यापार' एक ऐसा शब्द है जिसका कि क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। यह बात सच है। हम ऐसी उपजीविका के बारे में कह रहे हैं जो कि मनुष्यों के द्वारा विक्रय और क्रय, वस्तु विनिमय अथवा व्यापार के रूप में वाणिज्य का कार्य किया जाता है। हम उस कार्य के बारे में भी कहते हैं जो कि किसी व्यापार के रूप में मुख्यत: कुशल कार्य के रूप में किया जाता है। उदाहरणस्वरूप स्वर्णकार का व्यवसाय। किन्तु इस शब्द का जैसा कि वह परिनियम में प्रयोग किया गया है अवश्य ही वृत्ति से अन्तर किया जाना चाहिए, जब कि वृत्तिक कार्यों के भी व्यवसाय संघ होते हैं। शब्द 'व्यापार' व्यक्तियों को ऐसे कारबार की श्रेणी में सम्मिलित करता है जिनमें कि व्यक्तियों को कर्मकारों के रूप में नियोजित किया जाता है। शब्द 'कारबार' का भी बहुत ही विस्तृत अर्थ है। एक अर्थ में यह सभी उपजीविकाओं और वृत्तियों को समाविष्ट करता है। किन्तु इन पदों के और परिभाषाओं के संदर्भ में इन पदों का एक विशेष प्रकार के आर्थिक संदर्भ में अर्थ किया जाता है और इस न्यायालय की नजीरों के आधार पर एकरूपता से इस रूप में स्वीकार किया गया है कि वृत्तियों को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा और उसका संबंध केवल धन के उत्पादन, वितरण और उपभोग और भौतिक सेवाओं के उत्पादन तथा उपलभ्यताओं से ही है। इस प्रकार उद्योग शब्द का केवल यह अर्थ स्वीकार किया गया कि वह व्यापार और कारबार, विनिर्माण अथवा उपक्रम है जैसा कि वह व्यापार और उस कारबार से मिलता जुलता है जिससे कि भौतिक वस्तुओं अथवा धन और भौतिक सेवाओं का उत्पादन होता है।

15. इस बात को भी स्पष्ट कर देने की आवश्यकता है कि वृत्तियों को उद्योग के क्षेत्र से क्यों बाहर रखा गया है। कोई वृत्ति साधारणतया एक उपजीविका होती है और उसमें बुद्धि कौशल अपेक्षित होती है और कभी-कभी उसमें शारीरिक कौशल का समावेश भी होता है। इस प्रकार एक अध्यापक केवल बुद्धि कौशल का ही उपयोग करता है जब कि कोई चित्रकार इन दोनों का उपयोग करता है। किसी भी स्थिति में वे किसी ऐसी उपजीविका में लगे हुए नहीं होते जिसमें कि नियोजकों और कर्मचारियों का वस्तुओं के उत्पादन अथवा विक्रय अथवा उनके

---

[1] 1943 ए० सी० 166, 183.

1970(4) eILR(PAT) SC 1



उत्पादन और विक्रय के लिए प्रबन्ध अथवा वितरण में सहयोग होता है और उनकी सेवाओं को भौतिक सेवाओं के रूप में नहीं माना जा सकता ।

16. भौतिक सेवाओं का क्या अर्थ है इसका भी कुछ स्पष्टीकरण अपेक्षित है । भौतिक सेवाएं वे सेवाएं नहीं होतीं जो किसी परिणाम के निकालने के लिए पूर्ण रूप से अथवा अधिकांश रूप में वृत्तिक ज्ञान, कौशल अथवा निपुणता के योगदान पर निर्भर होती हैं । ऐसी सेवाएं चूंकि व्यक्तिगत रूप से दी जाती हैं और व्यक्तियों द्वारा दी जाती हैं तो निस्संदेह रूप से वे सेवाएं ही होतीं हैं किन्तु उनको भौतिक सेवाएं नहीं कहा जा सकता । यहां तक कि किन्हीं ऐसे स्थापनों के बारे में भी, जहां पर इस प्रकार की अनेक सेवाएं की जाती हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि वे अपनी वृत्तिक सेवाओं को भौतिक सेवाओं में परिवर्तित करते हैं । भौतिक सेवाओं में ऐसा क्रियाकलाप अन्तर्वलित होता है जिसको कि नियोजकों और कर्मकारों के आपसी सहयोग के द्वारा पूरा किया जाता है और जिससे समुदाय के लिए उपयोगी सेवाओं की व्यवस्था की जाती है, जैसा कि विद्युत शक्ति, जल परिवहन, डाक परिदान, टेलीफोन सेवा और इसी प्रकार की अन्य सेवाएं । इन सेवाओं की व्यवस्था करने में प्रशिक्षित व्यक्तियों अथवा वृत्तिक व्यक्तियों को भी नियोजन में रखा जा सकता है किन्तु बल इस बात पर नहीं दिया जाता है कि वे व्यक्ति क्या कार्य करते हैं किन्तु इस बात पर दिया जाता है कि उनकी किसी उद्योग अथवा वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान संगठित सेवा से क्या परिणाम निकलता है । इस प्रकार वृत्तिक व्यक्तियों की सेवाओं का, जिनमें कि व्यक्तियों का लाभ अन्तर्वलित होता है और उनकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, जैसा कि चिकित्सक, अध्यापक, विधिवेत्ता, सालीसिटर इत्यादि सुगमता पूर्वक ऐसी किसी सेवा से अन्तर किया जा सकता है जैसा कि परिवहन सेवा । पश्चादोक्त सेवा का स्वरूप वाणिज्यिक होता है जिससे कि कोई वस्तु अस्तित्व में आती है और यह उस लाभ से सर्वथा भिन्न होती है जो कि किसी विशिष्ट व्यक्ति को होता है । यह किसी ऐसी वस्तु का ही परिणाम है जिसको भौतिक वस्तुओं के उत्पादन के रूप में वर्णित किया गया है ।

17. श्री रामामूर्थी ने अस्पतालों के विरुद्ध दलील देते हुए हमारा ध्यान सिटराइन्स की पुस्तक ट्रेड यूनियन ला (तृतीय संस्करण पृ० 609) की ओर आकर्षित किया है जहां कि लेखक ने निम्न प्रकार संप्रेक्षित किया—

> "यद्यपि शब्द 'व्यापार' और 'उद्योग' का पृथक रूप से विस्तारपूर्वक, निर्वचन किया जा सकता है, जब कि वे संयुक्त रूप से प्रयोग किए गए हों तो भी न्यायालयों की प्रवृत्ति उनका संकीर्ण अर्थ करने की ओर रही है ।"

उसने हाउस आफ लार्ड्स के उस मामले को उद्धृत किया है जिसको हमने निर्दिष्ट किया है और न्यायालय की इस प्रवृत्ति की आलोचना की है कि उसने अभिव्यक्ति 'उद्योग' और 'कर्मकार' का अर्थ संकीर्ण रूप में किया है जब कि उसका यह कहना है कि इस संकीर्ण निर्वचन से कर्मकार शब्द के क्षेत्र से, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा नियोजित अध्यापक, विश्वविद्यालय के कर्मचारी, नर्सें और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सभा के अन्तर्गत नियोजित अन्य कर्मकार, संसद के सदनों के कर्मचारिवृंद और सिविल सेवक जो कि व्यापार करने अथवा औद्योगिक उपक्रमों में नियोजित नहीं किए गए हैं, अपवर्जित कर दिए गए हैं। वह इन सब को उस परिभाषा के अन्तर्गत मानता हैं क्योंकि कोई व्यक्ति जो कि उसी प्रकार के कार्य को वाणिज्यिक उपक्रम के लिए कर रहा हो तो वह इस परिभाषा के अन्तर्गत आएगा। उसके मतानुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कि लाभप्रद स्थिति में नियोजित किया गया हो वह अवश्य ही इस परिभाषा के अन्तर्गत आना चाहिए। इस परिभाषा के आधार पर श्री रामामूर्थि ने यह दलील भी दी है कि **अस्पताल मजदूर सभा के मामले**[1] को नहीं बल्कि इस न्यायालय के द्वारा विनिश्चित उससे पूर्व के मामलों को, जैसे कि **दिल्ली विश्वविद्यालय और एक अन्य** बनाम **रामनाथ**[2] और **नैशनल यूनियन ऑफ कर्माशियल एम्प्लाइज** बनाम **एम० आर० मेहर**[3] के मामलों पर पर अवश्य ही विचार किया जाना चाहिए और उनको उलटा जाना चाहिए।

18. इन मामलों के लिए कारण जैसा कि **जिमखाना क्लब के मामले**[4] में दिया गया है ऐसे स्थापन के प्रकार पर आधारित है जिससे कि हमारा यहां पर संबंध है। इस न्यायालय के द्वारा विनिश्चित **जिमखाना क्लब के मामले**[4] (जिसका कि **क्रिकेट क्लब ऑफ इण्डिया** बनाम **बॉम्बे लेबर यूनियन**[5] के मामले में अनुसरण किया गया और लागू किया गया) के बारे में यह अभिनिर्धारित किया गया कि सदस्यों के ऐसे क्लब के बारे में जो कि लाभ नहीं कमा रहे हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि वे किसी व्यापार अथवा उद्योग में नियोजित हैं और उनके नियोजक इस बात के लिए हकदार नहीं हैं कि वे क्लबों के साथ व्यापार विवादों में भाग लें। इस दृष्टिकोण को **होटल एण्ड केटरिंग इण्डस्ट्रीज ट्रेनिंग बोर्ड** बनाम **ऑटोमोबाइल प्रोप्राइटरी लिमिटेड**[6] के मामले से भी समर्थन प्राप्त होता है। श्री रामामूर्थि के द्वारा उद्धृत सालिसिटर का मामला भी इसी आधार पर विनिश्चित किया गया

[1] (1960) 2 एस० सी० आर० 866.

[2] (1964) 2 एस० सी० आर० 703.

[3] (1962) सप्लीमेण्ट 3 एस० सी० आर० 157.

[4] (1968) 1 एस० सी० आर० 742.

[5] ए० आई० आर० 1969 एस० सी० 276=[1969] 1 उम० नि० प० 210.

[6] (1969) 1 डब्ल्यू० एल० आर० 697.

1970(4) eILR(PAT) SC 1

था क्योंकि, उस मामले में नियोजकों द्वारा की गई सेवाएं वृत्तिक व्यक्तियों की सहायता के लिए थीं और उनसे भौतिक वस्तुओं अथवा धन अथवा भौतिक सेवाओं की उत्पत्ति नहीं हुई थीं। विश्वविद्यालय का दूसरा मामला भी इसी कारण के आधार पर विनिश्चित किया गया था।

19. अतः इसका यह अर्थ है कि इससे पूर्व कि कोई औद्योगिक विवाद, नियोजन अथवा अनियोजन अथवा नियोजन के निबंधन अथवा किसी व्यक्ति के श्रम की शर्तों के बारे में नियोजकों और उनके कर्मचारियों अथवा नियोजकों और नियोजकों अथवा कर्मचारियों और कर्मचारियों के बीच उत्पन्न हो, इस विषय में अवश्य ही यह साबित होना चाहिए कि उन नियोजकों और कर्मचारियों में सम्बन्ध हो जो एक साथ सहयोजित हों, और पूर्वोक्त किसी ऐसे व्यापार, कारबार, विनिर्माण, उपक्रम अथवा आजीविका का अनुसरण कर रहे हों जो कि भौतिक वस्तुओं अथवा भौतिक सेवाओं के बारे में हों और पश्चादोक्त किसी ऐसी आजीविका, सेवा, नियोजन, हस्तशिल्प अथवा औद्योगिक उपजीविका अथवा उपव्यवसाय का अनुसरण कर रहे हों जो कि कर्मचारियों के उद्यम की सहायता के लिए हों। यह आवश्यक नहीं है कि इस विषय में लाभ कमाने का उद्देश्य अंतर्निहित हो किन्तु उद्यम अवश्य ही वाणिज्यिक अर्थ में व्यापार अथवा कारबार के सदृश होना चाहिए।

20. हम यह आवश्यक नहीं समझते कि हम इस न्यायालय के उन विनिश्चयों को निर्दिष्ट करें जिन से ये प्रतिपादनाएं उद्भूत हुई हैं क्योंकि उन पर **जिमखाना क्लब के मामले**[1] में विचार कर लिया गया था। हम उस मामले में दिए गए निम्नलिखित निष्कर्ष को स्वीकार करते हैं—

> "..................इस से पूर्व कि किसी कार्य को उद्योग के रूप में वर्णित किया जाए, उसे अवश्य ही 'व्यापार' अथवा 'कारबार' अथवा विनिर्माण अथवा आजीविका के निश्चायक स्वरूप का होना चाहिए अथवा अवश्य ही ऐसा होना चाहिए जो कि किसी उपक्रम के रूप में वर्णित किए जाने के लिए समर्थ हो और जिसके परिणामस्वरूप भौतिक वस्तुओं अथवा भौतिक सेवाओं की उत्पत्ति हो।"

21. अब हम **अस्पताल मजदूर सभा के मामले**[2] पर गहनता से विचार कर सकते हैं और उन कारणों पर भी ध्यान दिया जा सकता है जिनके आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी अस्पताल में नियोजित कर्मकार किसी औद्योगिक विवाद को उठाने के लिए हकदार थे। हम तत्काल यह कह सकते हैं कि यदि कोई अस्पताल, नर्सिंग होम अथवा चिकित्सालय वाणिज्यिक रूप से

[1] (1968) 1 एस० सी० आर० 742.

[2] (1960) 2 एस० सी० आर० 866.

1970(4) eILR(PAT) SC 1

कारबार के रूप में चलाया जाता है तो उसमें उद्योग के तत्व विद्यमान होते हैं। यदि अस्पताल किसी ऐसे स्थान से कुछ अधिक महत्व का होता है, जहां पर कि व्यक्ति अपनी व्याधियों का उपचार कराते हैं, तो वह कोई कारबार बन जाता है।

22. **अस्पताल मजदूर सभा के मामले**[1] में ऐसे अस्पतालों के ही नहीं जो कि सरकार द्वारा चलाये जा रहे थे बल्कि ऐसे अस्पतालों के भी जो कि प्राइवेट संगमों के द्वारा चलाए जा रहे थे, और साथ ही साथ केवल उन अस्पतालों के ही नहीं जो कि वाणिज्यिक आधार पर चलाये जा रहे थे बल्कि उन अस्पतालों के भी जो कि सरकारी स्वास्थ्य विभाग के एक पूर्त कार्य के रूप में चलाए जा रहे थे, बारे में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वे उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए यह कारण दिया गया था कि उद्योग की परिभाषा के दूसरे भाग में जो कि प्रथम भाग के विस्तार के अंतर्गत है उद्योग की अन्य मदों को सम्मिलित किया गया है। जैसा कि हम इंगित कर चुके हैं परिभाषा के प्रथम और द्वितीय भागों को केवल एकल रूप से ही नहीं पढ़ा जाना है जैसा कि वे भिन्न प्रकार के उद्योग हों, किन्तु उनको किसी उद्योग के नियोजकों और कर्मचारियों की उपजीविका के पहलू के रूप में पढ़ा जाना है। वे एक ही उद्योग के दो प्रतिरूप हैं। वह मामला इस धारणा के आधार पर अग्रसर होता है कि चूंकि पूंजी नियोजन और लाभ कमाने का उद्देश्य अनावश्यक समझे गए थे तो उस विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वह एक आर्थिक क्रियाकलाप था। यह गलत धारणा है कि किसी आर्थिक क्रियाकलाप का पूंजी अथवा केवल मात्र लाभ कमाने से ही संबंध होना चाहिए। कोई आर्थिक क्रियाकलाप इन दोनों के अतिरिक्त भी अस्तित्वशील रह सकता है। अन्य मामलों में पहले लागू की गई सच्ची कसौटियों को नामंजूर करके जो कसौटी लागू की गई थी वह यह है कि क्या ऐसा क्रिया-कलाप किसी प्राइवेट व्यष्टियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा चलाया जा सकता है। यह मानते हुए कि कोई अस्पताल किसी कारबार के उद्देश्य से और लाभ के लिए भी चलाया जा सकता है, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सरकार द्वारा बिना लाभ कमाये चलाए गए अस्पताल भी उसी स्वरूप के होने चाहिएं। सादर हमारा यह विचार नहीं है कि यह कसौटी ठीक है। वह कसौटी सरकार के प्रशासनिक कार्यों और स्थानीय प्राधिकारियों के तथा कारबार के सदृश उनके कार्यों को भी लागू की गई थी, किन्तु उसको इस संदर्भ में उपयोग नहीं किया जा सकता। उसी मामले में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि उस प्रकार का क्रियाकलाप कारबार अथवा व्यापार के सदृश होना चाहिए और

---

[1] (1960) 2 एस० सी० आर० 866.

1970(4) eILR(PAT) SC 1

अवश्य ही उससे माल का उत्पादन अथवा उसका वितरण होना चाहिए अथवा सामग्री का उत्पादन समस्त समुदाय के लिए अथवा उसके एक भाग के लिए होना चाहिए। इस संदर्भ में इस अन्य प्रतिपादना के लिए कोई स्थान नहीं था कि प्राइवेट रूप से चलाए जाने वाले अस्पतालों को कतिपय परिस्थितियों में उद्योगों के रूप में माना जा सकता है। मानवीय 'तात्त्विक आवश्यकताओं को पूरा करना' अभिव्यक्ति को उद्भूत किया गया था जिसका कि एक भिन्न अर्थ था। प्रकटतः ये संप्रेक्षण **फ्रेडरेटेड म्युनिसिपल एण्ड शायर काउन्सिल एम्प्लाइज़ ऑफ आस्ट्रेलिया बनाम मेलबोर्न कॉरपोरेशन**[1] के मामले में न्यायाधिपति इजाक्स और रिच के संप्रेक्षणों पर आधारित थे जो कि निम्न प्रकार हैं—

> "औद्योगिक विवाद तब उत्पन्न होते हैं जब कि किन्हीं प्रचालनों में जिनमें पूंजी और श्रम का अंशदान इसलिए किया जाता है कि उनके द्वारा मानव आवश्यकताओं अथवा इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सहयोग किया जाए और जो व्यक्ति इस सहयोग कार्य में लगे हैं उनके बीच सम्बन्ध पक्षकारों द्वारा विवाद को इस बारे में माना जाना है कि वह या तो शेयरों से होने वाले लाभ के बारे में है या उनके बीच सहयोग के किन्हीं अन्य निबंधनों अथवा शर्तों के बारे में है.................लाभ कमाने का प्रश्न आयकर के उद्देश्य से एक मुख्य प्रश्न हो सकता है जैसा कि इंग्लैण्ड के बहुत से नगरपालिक मामलों में होता है; किन्तु किसी औद्योगिक विवाद के दृष्टिकोण से यह बात नहीं मानी जा सकती कि क्या कोई खर्च यात्रियों से किराए के रूप में पूरा किया जाता है अथवा उपकर से पूरा किया जाता है।"

आस्ट्रेलिया के इस मामले में केवल यह इंगित किया गया है कि उन क्रिया-कलापों में जो कि सरकार किसी औद्योगिक उद्यम को चलाने के लिए अपनाती हैं, लाभ कमाने की धारणा और पूंजी का अभाव इस विषय में सच्चे अर्थ में असंगत होते हैं। उस उद्धरण से यह दर्शित होता है कि औद्योगिक विवाद ऐसे प्रचालन में उत्पन्न होते हैं जहां पर कि नियोजक और कर्मचारी इसलिए सहयोजित होते हैं कि इस बात की व्यवस्था की जाए कि जनता की क्या आवश्यकता और इच्छा है। दूसरे शब्दों में जहां कि भौतिक वस्तुओं अथवा भौतिक सेवाओं का उत्पादन होता है। हमारे विचार से **अस्पताल मजदूर सभा के मामले**[2] में एक अतिकारी दृष्टिकोण अपनाया गया था जो कि न्यायोचित नहीं था।

---

[1] 26 सी० एल० आर० 508.

[2] (1960) 2 एस० सी० आर० 866.

1970(1)LLR(PAT)06 SC 1

23. यह दलील दी गई है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के उस संशोधन के पश्चात्, जिसके द्वारा 'अस्पतालों और औषधालयों में सेवा' को लोक उपयोगी सेवाओं में सम्मिलित किया गया था, इस बात के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि अस्पताल उद्योग नहीं हैं। यह कहा गया है कि संसद ने यह स्वीकार कर लिया था कि यह परिभाषा अस्पताल को सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त है। इस दलील पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और वह इस तथ्य के आधार पर कि इस बात पर विचार अस्पताल मजदूर सभा के मामले में किया गया था, यद्यपि वह संशोधन के पहले ही उठाई गई थी।

24. लोक उपयोगी सेवा की परिभाषा अधिनियम में, मात्र कुछ सेवाओं के नामों की गणना करके की गई है। यह देखा जा सकता है कि ये सेवाएं निम्नलिखित हैं—

"(i) कोई भी रेल सेवा या वायु द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए कोई भी परिवहन सेवा,

(ii) किसी औद्योगिक स्थापन का ऐसा अनुभाग, जिसके कार्यकरण पर उस स्थापन का या उसमें नियोजित कर्मकारों का क्षेम निर्भर करता है,

(iii) कोई डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा,

(iv) कोई उद्योग जो जनता की शक्ति, रोशनी या जल का प्रदाय करता है,

(v) सार्वजनिक मलवहन या सफाई का कोई तंत्र,

(vi) प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई ऐसा उद्योग, जिसे समुचित सरकार, यदि उसका समाधान हो गया है कि लोक आपात या लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उतनी कालावधि के लिए, जितनी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, लोक उपयोगी सेवा घोषित करे :

परन्तु इस प्रकार विनिर्दिष्ट कालावधि प्रथमतः छह महीने से अधिक की न होगी, किन्तु उसे वैसी ही अधिसूचना द्वारा एक समय में छह मास से अनधिक की किसी कालावधि के लिए समय-समय पर उस दशा में बढ़ाया जा सकेगा जिसमें लोक आपात या लोक हित में इस प्रकार बढ़ाया जाना समुचित सरकार की राय में अपेक्षित है।"

25. इस उपबन्ध के मूल में स्पष्ट रूप से आशय कतिपय सेवाओं को लोक उपयोगी सेवाओं के रूप में वर्गीकृत करना है। जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि

1970(4)eILR(PAT) SC 1

उन सेवाओं के बनाए रखने को संरक्षण प्रदान किया जाए। परिभाषा के अंतर्गत गणना की गई सेवाएं वाणिज्यिक आधार पर चलाए गए उद्योग की कसौटी के लिए उत्तर के रूप में काम करती हैं और उनसे उस वस्तु की उत्पत्ति की जाती है जिसका कि समुदाय के द्वारा उपयोग किया जा सके। उनको वाणिज्यिक तरीके से अस्तित्व में लाया गया है और वे उन कारबारों के सदृश हैं जिनमें कि भौतिक वस्तुएं उत्पन्न और उपभोग के लिए वितरित की जाती हैं।

26. जब संसद ने छठा खण्ड जोड़ा जिसके अधीन दूसरी सेवाओं को भी लोक उपयोगी सेवाओं के रूप में अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षण प्रदान किया गया तो इसका यह आशय नहीं था कि अधिनियम में अभिव्यक्त किए गए उद्योग के बारे में विचार की अवहेलना की जाए और कोई अन्य विचार समाविष्ट किया जाए। इसलिए उसमें यह कहा गया है कि किसी भी उद्योग को लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया जा सकता है किन्तु जिस वस्तु को इस रूप में घोषित किया जा सकता है उसको सर्वप्रथम कोई उद्योग होना चाहिए। हम 'अस्पतालों और औषधालयों में सेवा' के रूप में जोड़ी गई मद संख्या 9 से संबंधित हैं। पुनः प्रथम अनुसूची के शीर्षकों को भी उद्योगों के रूप में दर्शित किया गया है जिनको कि लोक उपयोगी सेवाओं के रूप में घोषित किया जा सकता है। मूल प्रविष्टियां 5 थीं और वे निम्नलिखित हैं—

(1) यात्रियों या माल के भूमि या जल मार्ग द्वारा वहन के लिए (रेल से भिन्न) परिवहन,

(2) कोयला,

(3) सूती वस्त्र,

(4) खाद्य पदार्थ,

(5) लोहा और इस्पात।

यह स्पष्ट है कि यहां पर केवल सामान्य शीर्षक ही दिये गए हैं। कोयला कोई उद्योग नहीं है किन्तु कोयले के द्वारा संव्यवहार किए जाने वाले कतिपय पहलू कोई उद्योग हो सकते हैं और यही बात यहां पर आशयित है। यह संव्यवहार किसी ऐसे उद्योग में होना चाहिए जहां पर नियोजक और कर्मचारी भौतिक वस्तुओं अथवा भौतिक सेवाओं के उत्पादन में सहयोग कर रहे हों। उसी प्रकार से सूती वस्त्र अथवा खाद्य पदार्थ अथवा लोहा और इस्पात भी, जैसा कि उनके विषय में प्रविष्टियां विद्यमान हैं, उद्योग नहीं हैं। अतः प्रथम सूची का शीर्षक और खण्ड (6) के शब्दों के द्वारा यह पूर्वानुमान किया जाता है कि कोई

ऐसा उद्योग अस्तित्वशील है जिसको कि अधिनियम के अधीन विशिष्ट संरक्षण के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।

27. अतः जब सूची को प्रथम अनुसूची में विस्तृत किया गया था और कतिपय सेवाओं का वर्णन किया गया था तो तब इस विषय में कोई अन्यथा आशय नहीं था। उस सूची में, 10 मार्च, 1957 से 1956 के अधिनियम संख्या 36 के द्वारा अधिनियम के संशोधन के द्वारा 10 मदों तक विस्तार किया गया था। यह नई मदें ये हैं: (क) बैंककारी, (ख) सीमेंट, (ग) रक्षा स्थापन, (घ) अस्पतालों और औषधालयों में सेवा, और (ङ) अग्निशामक सेवा। इसके पश्चात् अधिनियम की धारा 40 के अधीन अधिसूचना जारी करके 9 और मदें जोड़ी गई थीं। धारा 40 सरकारों को यह शक्ति प्रदान करती है कि वे अनुसूची में कोई अन्य मद और जोड़ सकें। वे मदें इस प्रकार हैं: (क) भारत सरकार की टकसालें, (ख) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, (ग) ताम्र खनन, (घ) सीसा खनन (ङ) जस्ता खनन, (च) लौह अयस्क खनन, (छ) किसी तेल क्षेत्र में सेवा, (ज) किसी महापत्तन या डाक के कार्यकरण में या उसके संसग में कोई सेवा, और (झ) यूरेनियम उद्योग में सेवा। यह आसानी से देखा जा सकता है कि उनमें से अधिकतर मदें ऐसी हैं जिनको व्यापार, कारबार, विनिर्माण अथवा कारबार के सदृश माना जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता है वे अधिसूचनाएं ऐसे उद्यमों के बारे में भी जारी की जा सकती हैं जिनको कि किन्हीं उद्योगों के रूप में नहीं चलाया जा सकता। वे केवल ऐसे ही उद्योग होते हैं जिनको कि लोक उपयोगी सेवाओं के रूप में घोषित किया जा सकता है।

28. अतः अधिसूचना को लागू करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त यह है कि इस बात का समाधान होना चाहिए कि कोई उद्योग अस्तित्वशील है। यदि कोई ऐसा उद्योग है जो कि प्रथम अनुसूची में गिनाई गई मदों के अन्तर्गत आता है तो तभी उसको अधिसूचित किया जा सकता है और उसे लोक उपयोगी सेवा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। विधि का प्रवर्तन किसी अन्य रूप में नहीं है जैसे कि प्रत्येक ऐसे क्रिया-कलाप को, जो कोयले से सम्बद्ध हो, कोई उद्योग मान लिया जाए और इसलिए उसे अधिसूचित किए जाने पर वह क्रियाकलाप लोक उपयोगी सेवा बन जाए। यही बात यहां पर वर्णित अन्य मदों सहित समस्त सेवाओं के बारे में भी सत्य है। प्रथमदृष्टया उनके बारे में यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि वे उद्योग हैं और तभी वह अधिसूचना उनको लागू होगी। इससे अन्यथा अभिनिर्धारित करने का आशय मुख्यतया यह होगा कि उद्योग के बारे में अधिनियम में दी गई उद्योग, औद्योगिक विवाद इत्यादि की समस्त परिभाषाएं निरर्थक हो जाएंगी जो कि अनुसूचित मदों के बारे में दी गई हैं।

1970(4) eILR(PAT) SC 1

संसद ने यह घोषित करने का प्रयास नहीं किया है कि उद्योग औद्योगिक विवाद कर्मकार और नियोजक की परिभाषाओं के होते हुए भी प्रत्येक अस्पताल को एक उद्योग के रूप में माना जाएगा। जिस बात की व्यवस्था की गई है वह यह है कि किसी लोक उपयोगी सेवा को किसी उद्योग के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। यह बात अनुचित होगी कि अधिनियम के अधीन जिन वस्तुओं को उद्योग नहीं माना गया है उनको भी उद्योगों में परिवर्तित कर दिया जाए।

29. अब हम अलग-अलग मामलों पर विचार करेंगे।

1969 की सिविल अपील संख्या 1705.

यह स्पष्ट है कि सफदरजंग अस्पताल किसी ऐसे आर्थिक क्रियाकलाप में कार्यरत होने के लिए आशयित नहीं है जिसको कि किसी व्यापार अथवा कारबार के सदृश कहा जा सके। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि वह अस्पताल किसी ऐसे स्थान से कुछ अधिक महत्व रखता है जहां पर कि व्यक्ति अपना उपचार कराते हैं। यह सरकार के कार्य का एक अंग है और अस्पताल को सरकार के विभाग के रूप में चलाया जाता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वह उद्योग है।

30. प्रस्तुत इस मामले में पिटीशनर ने एक निम्न श्रेणी लिपिक होना चुना है। वह प्रतिभूति की रकम जो कि उसने स्टोरकीपर के पद के लिए जमा कराई थी, उसे प्रतिसंदत्त कर दी गई थी। उसने उस पद के लिए 31 मई, 1962 को आवेदन किया था। 14 जुलाई, 1962 को उसने पुनः अपने आवेदन की ओर ध्यान आकर्षित कराया था। उसके आवेदन के लिए 9 अगस्त, 1962 को सिफारिश की गई थी। 26 नवम्बर, 1962 के पश्चात् ही, जबकि स्टोरकीपर का वेतन-मान रुपए 130-300 कर दिया गया था, उसने अपना दृष्टिकोण बदला था। 12 जुलाई, 1962 को उसने एक अभ्यावेदन किया था किन्तु चिकित्सीय अधीक्षक ने उसको प्रेषित करते समय यह कहा था कि स्टोर-कीपर के पद को धारण करने वाले व्यक्तियों को रुपए 130-300 के वेतनमान में नहीं रखा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मामले भी थे जो उसके विरुद्ध लंबित थे और जिनके कारण वह उस रूप में नियुक्त किए जाने से प्रवारित हुआ था। 11 अगस्त, 1966 को महानिदेशक ने उसको यह लिखा—

> "आपके पत्र संख्या 1-20/62-एस्टेब्लिशमेंट, तारीख 4 जनवरी, 1966 और उसी संख्या के पश्चात्वर्ती तारीख 14 मई, 1966 के स्मरण पत्र के संदर्भ में ऊपर वर्णित विषय के बारे में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय, भारत सरकार, नई

दिल्ली को निदेश किया गया था, जिसने यह कथन किया है कि ऐसा कोई आशय नहीं था कि रुपए 110-131 (पूर्ववर्ती वेतनमान रुपए 60-75) के पुनरीक्षित वेतनमान को पुनः रुपए 130-300 में पुनरीक्षित कर दिया जाए, चूंकि उक्त पदों के सेवा धारण करने वाले, जो कि रुपए 110-131 के वेतनमान में कार्य कर रहे थे, चतुर्थ श्रेणी से पदोन्नत कर दिए गए थे और रुपए 130-300 के वेतनमान में पदों के लिए वे विहित अपेक्षित अर्हताएं नहीं रखते थे।

कृपया ऊपर कथित की गई स्थिति की दृष्टि से इस मामले में, ऊपर दी गई टिप्पणियों के परिप्रेक्ष्य में ही आगे कार्यवाही की जाए और सम्बद्ध स्टोरकीपरों को तद्नुसार सूचित किया जाए।"

इन तथ्यों की दृष्टि से यह आवश्यक नहीं है कुलदीप सिंह सेठी के कार्य के बारे में रिपोर्टों को निर्दिष्ट किया जाए और उन मामलों का भी उल्लेख किया जाए जो कि उसकी पदोन्नति में बाधक रहे हैं। विधि के उस प्रश्न के जो कि हमने विनिश्चित किया है और उसके मामले के, गुणागुण के, आधार पर, दोनों ही दृष्टिकोण से, कुलदीप सिंह सेठी स्टोरकीपर के वेतनमान के लिए हकदार नहीं था और रुपए 914 का अधिनिर्णय जो कि उसके पक्ष में दिया गया था, गलत था। यह अपील मंजूर की जाती है। आदेश अपास्त किया जाता है किन्तु खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

31. 1969 की सिविल अपील संख्या 1781.

टी० बी० अस्पताल कोई स्वतंत्र संस्था नहीं है। यह ट्यूबरक्लोसिस एसोसियेशन आफ इण्डिया का एक भाग है। यह अस्पताल पूर्ण रूप से पूर्त प्रयोजनार्थ (पुन्यार्थ) चलाया जाता है और यह एक शोध संस्था है। इस अस्पताल का मुख्य उद्देश्य शोध और प्रशिक्षण है किन्तु चूंकि शोध और प्रशिक्षण का कार्य किसी अस्पताल में बिना बिस्तरों के नहीं चलाया जा सकता, इसलिए अस्पताल का चलाना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार उपचार कार्य, शोध और प्रशिक्षण का ही एक भाग है। इन परिस्थितियों में टी० बी० अस्पताल किसी उद्योग के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता। अतिरिक्त औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली का प्रारम्भिक प्रश्न पर किया गया आदेश अवश्य ही उलटा जाना चाहिए। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10(1)(घ) के अधीन अधिकरण को किया गया निर्देश अक्षम था। अपील मंजूर की जाती है किन्तु हम खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

32. 1969 की सिविल अपील संख्या 1777.

1970(4) eILR(PAT) SC 1



खुर्जी होलि फैमिली अस्पताल का उद्देश्य पूर्ण रूप से पूर्त (पुन्यार्थ) कार्य है। उसमें प्रशिक्षण, शोध और इलाज का कार्य किया जाता है। उसकी आय मुख्यतया दान के द्वारा होती है और लाभ के रूप में बची हुई रकम को वितरित नहीं किया जाता। अतः यह स्पष्ट है कि अधिनियम में अधिकथित किए गए अनुसार यह कोई उद्योग नहीं है। अतः बिहार सरकार द्वारा किया गया निर्देश अक्षम था। अपील मंजूर की जाती है। प्रथम मामले (1969 की सिविल अपील संख्या 1705) के अतिरिक्त, जिसमें इस न्यायालय के पूर्ववर्ती आदेश को प्रभावी किया जाएगा, खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

अपीलें मंजूर की गईं।

क०/